बरनी से आज़ादी

HDFC MUTUAL FUND
भरोसा अपनों का

अपने पैसों को बढ़ने का मौका दो.

#BarniSeAzadi

आपकी बरनी भले ही आपके पैसों को सुरक्षित रखे, मगर जब आप कुछ बरसों के बाद उसे खोलते हैं, तो शायद आपके पैसों का मूल्य वह न रहे, जो कि बरनी में रखते समय था. म्यूच्युअल फ़ंड आज के जमाने की बरनी हैं, जहां आप अपने पैसों को सुरक्षित रख सकते हैं. और यहां आपका पैसा वक्त के साथ बढ़ता भी जाता है. अपने पैसों को बरनी की कैद से आज़ाद करने तथा अपने को भविष्य की आर्थिक चिन्ताओं से मुक्ति दिलाने के लिए आज से ही म्यूच्युअल फ़ंड में निवेश करना शुरू करें.

म्यूच्युअल फ़ंड में निवेश करना समझदारी की बात क्यों है?

विविधिकरण

भले ही आपके पास विभिन्न स्टॉक्स, सेक्टर्स या अन्य इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करने के लिए पर्याप्त पैसा न हो, लेकिन म्यूच्युअल फ़ंड्स आप जैसे हज़ारों निवेशकों से पैसा एकत्रित करके, आपके निवेश को फैलाव प्रदान करता है, साथ ही आपके संभावित जोखिमों को भी कम करता है. इससे सुनिश्चित होता है कि सभी अंडों को एक ही टोकरी में न रखा जाए तथा एक बुरे निवेश से भारी नुकसान होने की आशंका से बचा जा सके.

किफ़ायत

कोई भी व्यक्ति 100/- जितनी छोटी राशि से सिस्टेमैटिक इंवेस्टमेंट प्लान (SIP) के ज़रिए किसी म्यूच्युअल फ़ंड की स्कीम में निवेश शुरू कर सकता है.

प्रोफेशनल मैनेजमेंट

म्यूच्युअल फ़ंड में निवेश करने का एक और बड़ा फ़ायदा यह है कि यह आपके निवेशों को प्रोफेशनल की विशेषज्ञता का लाभ देता है. एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ (एएमसीज) के पास योग्यता प्राप्त फ़ंड मैनेजर्स होते हैं, जो कि मजबूत रिसर्च टीम्स तथा अपनी खुद की विशेषज्ञता के साथ, फ़ंड के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम विकल्पों को चुनने की कोशिश करते हैं.

नकदीकरण

आप आसानी से अपने पैसों को म्यूच्युअल फ़ंड में निवेशित कर तथा उससे निकाल सकते हैं. ओपन एंडेड फ़ंड्स में किए गए निवेशों को, कभी भी आंशिक रूप से या पूर्णत: म्यूच्युअल फ़ंड यूनिट्स के मौजूदा भाव पर रिडीम किया जा सकता है, जो कुछ स्कीमों के लिए लागू लॉक-इन के अधीन होता है.

कानूनी तौर पर मान्य

भारत में, सभी म्यूच्युअल फ़ंड सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया (सेबी) द्वारा विनियमित होते हैं.

टैक्स लाभ*

नट्स को 12 महीने से अधिक समय तक धारित करने पर 1 लाख तक के कैपिटल गेन्स पर कोई टैक्स नहीं लगता है.

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के अंतर्गत इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम्स (ELSS) में किए गए निवेशों को 1.5 लाख तक (दूसरे विनिर्धारित निवेशों के साथ) टैक्स कटौती की पात्रता मिलती है.

निवेशक शिक्षा और जागरूकता अभियान

*निवेशक को यह जानना चाहिए कि वित्तीय नियम/ कर अधिनियम बदल सकते हैं और इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है कि वर्तमान कर स्थिति अनिश्चित काल के लिए जारी रह सकती है. टैक्स के परिणामों के व्यक्तिगत स्वरूप की दृष्टि से हर निवेशक को उचित सलाह लेनी चाहिए.

म्यूच्युअल फंड में निवेश करने के लिए, वन टाइम KYC की आवश्यकता को पूरा करने की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी हेतु https://www.hdfcfund.com/information/key-know-how पर विजिट करें. निवेशकों को केवल रजिस्टर्ड म्यूच्युअल फंड्स में निवेश करना चाहिए, जिनके विवरण का सत्यापन सेबी की वेबसाइट (www.sebi.gov.in/intermediaries.html) पर किया जा सकता है. किसी पूछताछ, शिकायत तथा समस्या के समाधान के लिए निवेशक एएमसीज़ तथा/या निवेशक संपर्क अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं. इसके साथ ही, निवेशक एएमसीज़ को सीधे भी शिकायत कर सकते हैं, अगर वे एएमसीज़ द्वारा दिए गए समाधान से संतुष्ट न हों तो वे स्कोर्स पोर्टल https://scores.sebi.gov.in/ पर भी शिकायत कर सकते हैं. स्कोर्स पोर्टल निवेशकों को सेबी को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने तथा तत्पश्चात इसकी स्थिति को देखने की सुविधा प्रदान करता है. अगर निवेशक सीधे एएमसीज़ से की गई या स्कोर्स पोर्टल के ज़रिए दर्ज शिकायतों पर समाधान से संतुष्ट न हों तो वह स्मार्ट ओडीआर पर https://smartodr.in/login शिकायत दर्ज कर सकता है.

अधिक जानकारी के लिए स्कैन करें

म्युचुअल फंड निवेश बाज़ार के जोखिमों के अधीन हैं,
योजना से जुड़े सभी दस्तावेज़ों को ध्यान से पढ़ें।